

OperationConviction के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से न्यायालय द्वारा जान से मारने की नीयत से गंभीर रूप से घायल करने वाले अभियुक्तों को 06 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹ 6500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



CONVICTING THE CRIMINALS



Meticulous Investigation & Prosecution बहराइच पुलिस

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के दृष्टिगत बहराइच पुलिस द्वारा की जा रही गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 14.08.2024 को माननीय न्यायालय ए०एस०जे०/एफ०टी०सी०-II बहराइच द्वारा जान से मारने की नीयत से गंभीर रूप से घायल करने वाले आरोपियों को दण्डित किया गया।

विवरण निम्नवत है -

पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना हरदी में पंजीकृत मु०अ०स० 117/2018 धारा 307/ 452/ 323/ 506 भा०द०वि० के आरोप में अभियुक्तगण 1. प्रदीप पुत्र हरीराम, 2. हरीराम पुत्र नोखे निवासीगण पिपरी मोहन थाना हरदी जनपद बहराइच को **06-06 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 6500/-रु के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।



सुब-इंस्पेक्टर
विशेष लिंग: अभियोजक



आर. एस. ए. सी. कीर्ति
बंसे बंगाली



आर. एस. ए. सी. कीर्ति
बंसे बंगाली

Daily News

#BahraichPoliceInNews

<https://linktr.ee/mediacellbahraich>



जानलेवा हमले के दो दोषियों को छह-छह साल की सजा

बहराइच। हरदी थाना क्षेत्र के पिपरी मोहन निवासी मस्तराम पर खोते 11 मई, 2018 को शाम हरीराम, चेताराम, प्रदीप, राजू ने हमला कर दिया था। इस दौरान मस्तराम के भतीजे विनोद व भाई रामकुमार पर चाकू, छुरी व कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया था। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। जिसको सुनवाई करते हुए एएसजेएफटीसी न्यायालय - द्वितीय ने प्रदीप व हरीराम को दोष सिद्ध पाते हुए छह-छह वर्ष कारावास व 6500 रुपये आर्थिक दंड लगाया है। (संवाद)

घर में घुसकर हत्या के प्रयास में दो को छह साल की सजा

जमाने व बहराइच : जमाने सन न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय अनिल कुमार ने घर में घुसकर हत्या के प्रयास करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए छह-छह साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर खोते छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से उत्तर सशस्त्रीय अभिवक्ता उपस्थित सुनील कुमार जयसवाल मामले की पैरवी की। उन्होंने कहा कि मथल हरदी थाना के डिप्टीमेडन गैर का है। 11 मई 2018 को शाम को खोते खोते मस्तराम अपने घर में भाई रामकुमार व भतीजे विनोद के साथ जमाने में बैठकर खाना खा रहे थे तभी आरोपित प्रदीप, राजू, हरीराम व चेताराम घुसकर घुस आते तभी मस्तराम को घायल करने की कोशिश की, जमाने मथलें नोन से भर देते। चाकू व कुल्हाड़ी से मस्तराम को घायल कर दिया। भतीजे विनोद के पैर की अंगुली गिराई गई। भाई के साथ व पैर में कुल्हाड़ी की कोटे आई और मुझे भी लाठी की कोटे आई। पुलिस ने इस मामले में मस्तराम की तहरीर के आधार पर हरीराम, चेताराम, प्रदीप व राजू के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। विवेदन के दौरान आरोपित चेताराम को उपस्थित नहीं पाया गया। आरोपित प्रदीप, राजू व हरीराम के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। सिकारा के दौरान आरोपित राजू को मौत हो गई, जिससे उत्तर मुकदमा समाप्त कर दिया गया। अंततः ने अभियोजन व वकील पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद आरोपित प्रदीप व हरीराम को घर में घुसकर हत्या के प्रयास करने व जमाने की घमती देने के मामले में छह वर्ष के कारावास व 6500 रुपये का आर्थिक दंड सुनाया।

BAHRAICH POLICE

24/7 #BahraichPolice Social Media Cell #SPBahraich